



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 12724/2025

अमन मिश्रा उर्फ शोभित मिश्रा

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – विनोद कुमार, मों. शहंशाह, नेवाज खान

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आज प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा थाना- कोतवाली नगर, जिला- सीतापुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 293/2025 अंतर्गत धारा 2(ख)(i), 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में जमानत हेतु दायर किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गिरोह तालिका में प्रार्थी के विरुद्ध मात्र एक मामला दर्शित किया गया है, जिसमें वह जमानत पर है। जमानत आदेश जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र के अनुलग्नक-3 के रूप में अभिलेख पर है। गिरोह तालिका में उल्लिखित मामले (मामलों) के अतिरिक्त, प्रार्थी का 9 अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है जिसे पूरक शपथपत्र के प्रस्तर 2 में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षानुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी प्रस्तुत किया गया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है कि प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में प्रस्तुत किये गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इस तथ्य पर सम्यक विचार करते हुए कि प्रार्थी दिनांक 6.10.2025 से जेल में है; प्रार्थी को गिराह तालिका में दिखाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है; एवं मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त प्रार्थी- **अमन मिश्रा उर्फ शोभित मिश्रा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में अधिरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नवत हैं:-

- (i) प्रार्थी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा।
- (iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि वह उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
- (iv) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुरूप आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- (v) प्रार्थी उ.प्र. गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुरूप एक वचन पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) प्रार्थी नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

24 मार्च, 2026

श्रवण